न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/227/भीलवाडा

विभागीय अपील द्वारा श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ1–17()/स्था /2021/16968 दिनांक 06.12.2021 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी/ अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर

निर्णय

दिनांकः– 18.10.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ1–17()/स्था/2021/16968 दिनांक 06.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक एफ1–17()/स्था /2021/16645 दिनांक 06.10.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1- अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार आसीन्द के पद पर पदासीन अवधि के दौरान सुश्री कंचन कोली पुत्री हरदेव कोली गांव जोधा का खेडा, बोरेला आसीन्द जिला भीलवाडा के नाम से अनूसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी आसीन्द की

आईडी पर अग्रेषित किया गया।उक्त आवेदन पत्र मे पटवारी व उत्तरदायी व्यक्तियो के हस्ताक्षर की जांच व दस्तावेजो की जांच उपरान्त आप द्वारा जांच मे सही पाये जाने पर अनूसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अपनी एस.एस.ओ. आई.डी़. नम्बर RJCT198511008465 से उपखण्ड अधिकारी आसीन्द की आई.डी. पर अग्रेषित किया गया। आप द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जांच सही नही की जाकर उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को अग्रेषित कर दिया गया जिससे सुश्री कंचन कोली पुत्री हरदेव कोली गांव जोधा का खेडा, बोरेला आसीन्द जिला भीलवाडा के नाम से अनूसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा जारी किया गया। जिससे सुश्री कंचन कोली पुत्री हरदेव कोली द्वारा पंचायत राज आम चुनाव 2020 मे सरपंच ग्राम पंचायत बोरेला आसीन्द के पद हेतु नामांकन दाखिल किया जाकर सरपंच पद पर निर्वाचित हुई। राज्य निर्वाचन आयोग राज. जयपुर द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार उक्त सीट अनूसूचित जाति (महिला) वर्ग को आरक्षित की गई, जबकि सुश्री कंचन कोली पुत्री हरदेव कोली अनूसूचित जाति (कोली) की नही होकर अन्य पिछडा वर्ग की महिला है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजो की जांच किये बगैर उपखण्ड अधिकारी आसीन्द की आई.डी. पर अग्रेषित कर दिया गया। जो निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को अनावश्यक विवादित बना दिया गया। जिससे निर्वाचन आयोग की स्वच्छ एवं बेदाग छवि धूमिल हुई है।

अपीलार्थी को 07 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 25.10.2021 को जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाडा के दण्डादेश दिनांक 06.12.2021 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी तहसीलदार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर भीलवाडा, से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपचारी अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र आवेदन मे संलग्न आवश्यक सथी दस्तावेजो की सही तरीके से जांच नही की गई। अपचारी अधिकारी द्वारा सावधानी नही बरतने के कारण त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिसका उपयोग चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लिया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा आवश्यक समस्त दस्तावेजो की सत्यता एवं प्रमाणिकता के संबंध मे जांच/परीक्षण नही किया जाकर आगे अग्रेषित किये जाने से त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र जारी होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया सुश्री कंचन कोली पुत्री हरदेव कोली ने प्रार्थना पत्र पर ही जाती कोली से आवेदन किया, जो नोटेरी द्वारा सत्यापित किया गया। प्रार्थीया के आधार कार्ड मे, प्रार्थीया के पिता हरदेव के आधार कार्ड मे, प्रार्थीया के परिवार के राशन कार्ड मे कोली दर्ज है। ग्राम दुधिया पटवार हल्का बोरेला राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 117 पर प्रार्थीया के पिता हरदेव पोखर हिस्सा 1/4 जाति कोली सा. जोधा का खेडा मे भी जाति कोली दर्ज है। आवेदन पत्र दो उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सत्यापित कराया हुआ है एवं पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट मे जाति कोली को अनूसूचित जाति की रिपोर्ट की है। उक्त सभी दस्तावेजो के आधार पर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को अग्रेषित किया गया। जिसे तत्का0 जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक न्याय/2020/24819 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। अतः अपीलार्थी ने जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ1–17()/स्था /2021/16968 दिनांक 06.12.2021 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी तहसीलदार को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व

मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रार्थीया सुश्री कंचन कोली द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड, पटवार रिपोर्ट, एवं ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज के आधार पर आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को अग्रेषित किया गया। अपचारी कार्मिक द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पुलिस थाना आसीन्द मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जिसे जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा द्वारा दिनांक 28.10.2020 को उक्त जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 06.12.2021 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 06.12.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर